(1)

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
रायपुर छत्तीसगढ़
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन,नया रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558
website - tribal.cg.gov.in
E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / ज.उ.यो. / 01 / 2019–20 / 6361 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/09/19

प्रति,

**आयुक्त,**
जनसंपर्क,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

विषय :– आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत 2020–21 हेतु संस्थाओं के चयन के लिए **"रूचि की अभिव्यक्ति"** आमंत्रित किए जाने विज्ञप्ति का प्रकाशन।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2020–21 हेतु संस्थाओं का चयन के लिए " रूचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित किए जाने बाबत् विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न प्रेषित हैं।

अतएव कृपया इसे राज्य स्तरीय अधिकतम सर्कुलेशन वाले दो समाचार पत्रों में दो दिन इस प्रकार प्रकाशित करायें ताकि राज्य के समस्त जिलों में इस विज्ञप्ति की जानकारी हो सके।

**संलग्न :– उपरोक्तानुसार**

(मुकेश कुमार बंसल)
संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
रायपुर छत्तीसगढ़

पृ क्रमांक / ज.उ.यो. / 01 / 2019–20 / 6362 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/09/19

**प्रतिलिपि :–**

1. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
रायपुर छत्तीसगढ़
ब्लॉक 4 डी. भूतल इन्द्रावती भवन,नवा रायपुर (छ.ग.)
☎ - 2263708 Fax - 2262558
E mail - ctd.cg@nic.in
website - tribal.cg.gov.in

क्रमांक / ज.उ.यो. / 01 / 2019–20 / 6363 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/09/19

## वर्ष 2020–21 के लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना नियम 2016 अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थानों के चयन हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति"

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करने, प्रतिस्पर्धी बनाने, तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित **"आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना वर्ष 2016 (यथा संशोधित)"** संचालित है।

योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित CBSE/ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित आवासीय शालाओं (शाला एवं छात्रावास आदि एक ही परिसर में स्थित हो) में से अधिकतम 10 विद्यालयों का चयन किया जाना है। चयनित विद्यालयों में विभाग द्वारा चयनित अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 6वीं के अधिकतम 200 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जायेगा। शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों का समस्त मान्य शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा किया जायेगा। **विस्तृत विवरण विभाग के बेवसाईट पर अवलोकन कर सकते है।**

आवेदन पत्र एवं योजना का विवरण विभाग के बेवसाईट "tribal.cg.gov.in" पर उपलब्ध है। जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। इस हेतु आवेदन शुल्क 1000/– रूपये है, जो डिमान्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में EOI के प्रस्ताव के साथ जमा करना है।

ऐसी इच्छुक संस्थाएँ जो योजना नियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखती है उनसे **"रूचि की अभिव्यक्ति" (Expression of interest)** अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित है। संस्था निर्धारित आवेदन पत्र में अपना प्रस्ताव समस्त जानकारी के साथ बुक बाईडिंग कराकर **दिनांक 28.10.2019 को 5:00 बजे शाम तक** व्यक्तिगत या पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा कर सकते है। समयावधि पश्चात्/डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(मुकेश कुमार बंसल)
**संचालक**
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

# आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना नियम 2016 अंतर्गत कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को अध्ययन कराने हेतु उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओं के चयन हेतु आवेदन–पत्र वर्ष 2020–21

टीप : – कृपया आवेदन पत्र के साथ एवं इसकी जानकारी के पुष्टि हेतु अभिलेखो को बुक बाईन्ड कराकर प्रस्तुत किया जावे। प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ट क्रमांक डालें एवं हस्ताक्षर करें।

## भाग–अ (संस्था का परिचय)

1. (अ) शैक्षणिक संस्था का नाम : ........................................
   (ब) संस्था का पूर्ण पता : ........................................
   : ........................................
   : ........................................
   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ........................................
2. शैक्षणिक संस्था किस समिति / फर्म / कपंनी के अंतर्गत संचालित है :–
   (अ) (समिति / फर्म / कपंनी का नाम) : ........................................
   : ........................................
   (ब) समिति / फर्म / कपंनी के कार्यालय का पूर्ण पता : ........................................
   : ........................................
   : ........................................
   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ........................................
3. (अ) समिति, किस एक्ट के तहत पंजीकृत है : ........................................
   (ब) समिति, का जीवित पंजीयन क्रमांक : ........................................
   (स) समिति, का वैद्यता दिनांक : ........................................
   (द) समिति, के गवर्निंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ........................................
   (इ) समिति, के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक : ........................................
   (फ) समिति, के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष / संचालक : ........................................
   सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता : ........................................
   मोबाईल नंबर सहित : ........................................
4. शैक्षणिक संस्था किस स्तर तक : ........................................
   संचालित है (प्राथमिक / माध्यमिक / हाई स्कूल / हायर सेकण्डरी)
5. शैक्षणिक संस्था के संचालन की प्रारंभिक तिथि
6. संस्था में लागू पाठ्यक्रम सी.बी.एस.ई. / : ........................................
   आई.सी.एस.ई. (मान्यता कब से कब तक है)
   (प्रति संलग्न करें)

| सी.बी.एस.ई. | आई.सी.एस.ई. |
|---|---|
| | |

7. संबंधित बोर्ड के नवीनतम मान्यता का प्रमाण पत्र
8. अध्ययन का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी
9. शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या (पिछले तीन वर्षों का) (वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19)

| क्र. | कक्षा | कुल प्रवेशित संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.वि | सामा. | योग |
| 1 | 1–5 | | | | | |
| 2 | 6–8 | | | | | |
| 3 | 9–10 | | | | | |
| 4 | 11–12 | | | | | |
| | योग | | | | | |

## भाग–ब (संस्था के अधोसंरचना एवं सुविधाओं की जानकारी)

1. संस्था के भवन संबंधी जानकारी
   - (i) संस्था का भूमि एवं भवन समिति के नाम से है अथवा नहीं : ..................
   - (ii) क्या संस्था किराये के भवन पर संचालित है : ..................
   (यदि हां तो उसकी लीज की अवधि कम से कम 10 वर्ष शेष होना चाहिए ।
   - (iii) शैक्षणिक संस्था कुल कितने एकड़ भूमि में संचालित है : ..................
   - (iv) निर्मित भवन का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है : ..................
   - (v) किस–किस खेल हेतु मानक खेल मैदान है : ..................
   - (vi) खेल सुविधाएं अंतर्गत क्या सुविधा है : ..................
   - (vii) शाला में पुस्तकालय कितने वर्गमीटर में निर्मित है : ..................
   - (viii) पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी है : ..................
   - (ix) शैक्षणिक संस्था के परिसर में स्कूल भवन के साथ बालक एवं बालिका छात्रावास भवन पृथक–पृथक है या नहीं : ..................
   - (x) यदि छात्रावास/भवन है, तो दोनों छात्रावास कितने वर्गमीटर में निर्मित है। : ..................
   - (xi) दोनों छात्रावास भवन कितने सीट क्षमता का है : ..................
   - (xii) छात्रावासों में कौन–कौन सी सुविधाएं है (जैसे पलंग, बिस्तर, मच्छरदानी, विद्युत, स्वच्छ जल आर ओ सिस्टम, कुलर, पंखा, मेस, रसोई आदि) : ..................
   - (xiii) बालक छात्रावास में उपलब्ध स्टॉफ का विवरण : ..................
   - (xiv) बालिका छात्रावास में उपलब्ध स्टॉफ का विवरण : ..................
   - (xv) विद्यालय/छात्रावासों के अंतर्गत अग्निसमक यंत्र एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था का विवरण : ..................

2. **शयन व्यवस्था तथा फर्नीचर** :– निम्नांकित सामग्रियों की अच्छी स्थिति में उपलब्धता

| क्र. | सामग्री का नाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | पलंग | |
| 2 | गद्दा | |
| 3 | चादर (ओढ़ने एवं बिछाने की | |
| 4 | तकिया कव्हर के साथ | |
| 5 | कंबल | |
| 6 | मच्छरदानी | |
| 7 | कपड़ा रखने हेतु आलमारी | |
| 8 | स्टडी टेबल एवं कुर्सी | |
| 9 | टेबल लैंप | |
| 10 | आर-ओ वाटर सिस्टम | |
| 11 | सेनेटाईज्ड शौचालय | |

3. **कम्प्यूटर व्यवस्था/डिजिटल क्लास रूम** :–
   - (अ) डिजिटल क्लासरूम का आकार (वर्ग मीटर में) : ..................
   - (ब) अद्यतन मॉडल के डेस्कटॉप कम्प्यूटर : ..................
   - (स) प्रोजेक्टर : ..................
   - (द) इंटरनेट की व्यवस्था : ..................
   - (इ) पाठ्य सामग्रियों की सी.डी. की उपलब्धता : ..................

4. **स्वास्थ्य सुविधा** :– इस हेतु शाला एवं छात्रावास हेतु अनुबंधित चिकित्सक का नाम, योग्यता आदि का विवरण एवं अनुबंध प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5. **विशेष कोचिंग** :– छात्रावासी विद्यार्थियों को क्लास रूम के अलावा उपचारात्मक षिक्षण की व्यवस्था हेतु इवनिंग क्लास की उपलब्धता है या नहीं। यदि है तो टाईमटेबल तथा फोटोग्राफ।

6. **भोजन व्यवस्था** -- नियम की कंडिका 6 (7) के अनुसार होने संबंधी साप्ताहिक दिनवार मीनू का विवरण

7. **फैकल्टी का विवरण** - सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. पाठ्यक्रम के मापदंड अनुसार शिक्षक एवं शिक्षण की व्यवस्था विषय–विषेषज्ञ की व्यवस्था के संबध में जानकारी (संलग्न करें)

| क्र. | शिक्षक का नाम | योग्यता | अनुभव | किस कक्षा का अध्यापन करते हैं |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

8. **संस्था का परीक्षा परिणाम** – विगत 03 वर्षों का

| वर्ष | बोर्ड | कुल दर्ज संख्या | परीक्षा मे शम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या | कुल परीक्षा परिणाम (प्रतिषत में) | परीक्षा परिणाम (संख्यात्मक जानकारी दें ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 80% से 90% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या | 90% से 95% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या | 95% से 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या |
| वर्ष 2016–17 | 10वीं | | | | | | |
| | 12वीं | | | | | | |
| वर्ष 2017–18 | 10वीं | | | | | | |
| | 12वीं | | | | | | |
| वर्ष 2018–19 | 10वीं | | | | | | |
| | 12वीं | | | | | | |

9. **राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न गतिविधियों, परीक्षा में उपलब्धि का विवरण (संलग्न करें)**

| क्र. | परीक्षा का नाम | शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या | अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | ओलंपियाड | | |
| 2 | विज्ञान पहेली | | |
| 3 | इंस्पायर्ड योजना | | |
| 4 | जे.ई.ई. मेन | | |
| 5 | जे.ई.ई. एडवांस | | |
| 6 | ए.आई. पी.एम.टी. | | |
| 7 | पी.एम.टी. | | |
| 8 | क्लैट | | |
| 9 | सी.ए.–सी.पी.टी. | | |

10. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सह संज्ञानात्मक गतिविधियों (जैसे खेल, भाषण, निबंध, वाद–विवाद, नृत्य, चित्रकला आदि) में विद्यार्थियों की सहभागिता एवं उपलब्धि (पूर्ण विवरण संलग्न करें) : ................................................................................................ ............

## भाग–स (संस्था द्वारा ली जाने वाली शुल्क का विवरण)

| क्र. | विवरण | शुल्क (रूपए में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6वी से 8वीं | 9वीं से 10वीं | 11वीं से 12वीं |
| 1 | शिक्षण शुल्क | | | |
| 2 | छात्रावास किराया | | | |
| 3 | भोजन व्यय (अन्य आवष्यक दैनिक सामग्रियो सहित) | | | |
| 4 | दो सेट गणवेष | | | |
| 5 | दो सेट मोजे | | | |
| 6 | दो सेट जूते | | | |
| 7 | रात्रि कालिन गणवेष | | | |
| 8 | क्रीड़ा गणवेष | | | |
| 9 | पुस्तके एवं स्टेषनरी | | | |
| | योग | | | |

टीप :– अन्य शुल्क का भी विवरण देवें, जो एक सामान्य विद्यार्थी से लिए जाते हैं।

## भाग–द (अमानत राषि)

रूपए 1.00 लाख का एफ.डी.आर. , आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर के नाम से का विवरण :–

| क्र. | बैंक का नाम | क्रमांक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## भाग–ई (घोषणा / सहमति पत्र)

### संस्था संचालक की घोषणा

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि आवेदन पत्र के 'भाग–अ'के बिन्दु क्रमांक 1 से 8, 'भाग–ब'के बिन्दु क्रमांक 1 से 10, 'भाग–स' एवं 'भाग– द' में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकरी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना 2016 के प्रावधानों को भलीभांति अध्ययन कर लिया हू एवं इससे सहमत हू । वर्ष 2020–21 में नवीन विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु मेरी संस्था का चयन होने पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना यथा संशोधित 2016 में शुल्क भुगतान की प्रक्रिया तथा विभाग द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर / मोहर
सहित

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

- 4 AUG 2016

नया रायपुर, दिनांक /08/2016

क्रमांक/एफ-16-36/2009/25/2: राज्य शासन एतद् द्वारा पूर्व में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16.3.2012 द्वारा जारी "आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2012)" को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर "आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2016)" प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

2- इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेट क्रमांक/एफ-2016-25-00955/बी-3/चार, दिनांक 3.8.2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि

पृ.क्रमांक/एफ-16-36/2009/25/2

नया रायपुर, दिनांक /08/2016

प्रतिलिपिः-

1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर.
2- निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर
3- सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर
4- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/ज.उ.यो./201/2015-16/3294, दिनांक 2.7.2016 के तारतम्य में। कृपया संशोधित योजना की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध कराते हुए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
5- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर.
6- आयुक्त, ---------- संभाग ---------- छ.ग.
7- समस्त कलेक्टर्स ---------- छ.ग.। कृपया संशोधित योजना की प्रति सभी शालाओं को उपलब्ध कराते हुए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराना सुनिश्चित करें।
8- समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छ.ग. की ओर उपरोक्तानुसार आगामी कार्यवाही हेतु।
9- समस्त परियोजना प्रशासक, ए.आ.वि.परि. -------- जिला -------- की ओर योजना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छ.ग. की ओर उपरोक्तानुसार आगामी कार्यवाही हेतु।
11- आर्डर बुक।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

1. योजना का नाम

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2016)

2. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बर्हिमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है।

3. परिभाषाएँ

**(क) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना**— आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना से अभिप्राय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से है।

(ख) चयन समिति— चयन समिति का अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 7 में वर्णित समिति से है।

(ग) संस्था— संस्था का अभिप्राय सीबीएससी/आईसीएससी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से है।

(घ) मूल्यांकन समिति— मूल्यांकन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 18.2 में वर्णित समिति से है।

(ङ) निरीक्षण समिति — निरीक्षण समिति का अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 8.2 में वर्णित समिति से है।

4. मेधावी छात्रों के चयन का मापदण्ड

4.1 विद्यार्थी छ.ग. राज्य के मूल निवासी हो।

4.2 छ.ग. राज्य में मान्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।

4.3 विद्यार्थी छ.ग. मे संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं एवं 8वीं में नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा 4थी एवं 7वीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

4.4 पालक की आय समस्त स्त्रोंत से वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से अधिक न हो।

4.5 योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थी एवं 7 वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेंगे। नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता नहीं रखेंगे।

5. छात्रो की सीट संख्या का निर्धारण

5.1 जवाहर उत्कर्ष योजना से लाभान्वित होने वाले मेधावी छात्रों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रवेश परीक्षा के प्रावीण्यता के आधार पर कक्षा 6वीं में अनुसूचित जनजाति के 100 एवं अनुसूचित जाति के 50 विद्यार्थियों को सामान्यतः प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश हेतु जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार हो सकेगी:--

| क्र. | जिला | अनुसूचित जनजाति की निर्धारित सीट संख्या | अनुसूचित जाति की निर्धारित सीट संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सरगुजा | 9 | 1 |
| 2. | बलरामपुर | 4 | 1 |
| 3. | सूरजपुर | 4 | 1 |
| 4. | कोरिया | 4 | 1 |
| 5. | बिलासपुर | 4 | 3 |
| 6. | मुंगेली | 1 | 2 |
| 7. | कोरबा | 6 | 2 |
| 8. | जांजगीरचांपा | 2 | 4 |
| 9. | रायगढ़ | 8 | 2 |
| 10. | कवर्धा | 2 | 2 |
| 11. | दुर्ग | 2 | 2 |
| 12. | बेमेतरा | 1 | 2 |
| 13. | बालोद | 3 | 1 |
| 14. | रायपुर | 2 | 4 |
| 15. | गरियाबंद | 3 | 2 |
| 16. | जशपुर | 6 | 2 |
| 17. | महासमुंद | 2 | 3 |
| 18. | धमतरी | 2 | 2 |
| 19. | जगदलपुर | 8 | 2 |
| 20. | कोण्डागांव | 4 | 1 |
| 21. | कांकेर | 5 | 1 |
| 22. | दंतेवाड़ा | 4 | 1 |
| 23. | सुकमा | 3 | 1 |
| 24. | नारायणपुर | 3 | 1 |
| 25. | बीजापुर | 3 | 1 |
| 26. | बलौदाबाजार | 1 | 2 |
| 27. | राजनांदगांव | 4 | 3 |
| | योग | 100 | 50 |

5.2 कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु कुल 50 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें 30 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 20 सीट अनुसूचित जाति के लिए होगी। कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु जिलेवार आरक्षण की व्यवस्था नहीं रखी गई है।

5.3 उपर्युक्त कंडिका 5.1 एवं 5.2 में दर्शायी गयी सीट संख्या अधिकतम है। योजनान्तर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु चयन की संख्या संबंधित बजट वर्ष में इस योजना हेतु प्रावधानित बजट राशि की सीमा अंतर्गत होगी अर्थात बजट सीमा के अंदर ही विद्यार्थियों की लक्ष्य संख्या निर्धारित होगी।

किसी वर्ष में संबंधित जिले के सीटों की प्रतिपूर्ति नहीं होने की स्थिति में जिला सीमा को छोड़ संबंधित संभाग स्तरीय सीट से भरी जायेगी।

5.5 योजना के अंतर्गत चयनित संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन/आई.सी.एस.सी. द्वारा आयोजित बोर्ड पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थी अंतिम बोर्ड परीक्षा (अधिकतम कक्षा 12वीं) तक योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

6. संस्था चयन हेतु मापदण्ड

संस्था चयन के लिए सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. बोर्ड से मान्यता प्राप्त/संबद्ध संस्थाएं ही पात्र होगी।

| सुविधाओं के विवरण | मापदण्ड | अंक |
|---|---|---|
| संस्था का निजी भवन एवं छात्रावास | (i) संस्था का निजी शाला एवं छात्रावास भवन होना आवश्यक है।<br>(ii) संस्था में विभिन्न खेलों के लिए मानक खेलकूद का मैदान, खेल सुविधा एवं समृद्ध तथा सुविधायुक्त पुस्तकालय का होना अनिवार्य है।<br>(iii) विद्यालय के पास स्वयं का बालक/बालिका के लिए कम से कम 50 सीटर सुसज्जित एवं पर्याप्त सुविधायुक्त मानक छात्रावास भवन होना चाहिए।<br>(iv) 50 सीटर कन्या छात्रावास में न्यूनतम 01 महिला अधीक्षक, 02 महिला सुरक्षा गार्ड एवं 03 महिला कर्मचारी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।<br>(v) छात्रावास का संचालन यदि किराये के भवन में किया जा रहा है तो उसकी लीज अवधि इस विभाग के साथ संस्था का अनुबंध दिनांक से कम से कम 10 वर्ष शेष होना चाहिए। | 15 |
| संस्था का परीक्षा परिणाम | कक्षा दसवी का गत 03 वर्षो का एवं कक्षा बारहवी का गत 01वर्ष का परीक्षा परिणाम न्यूनतम 80% से कम नही होना चाहिए। (i) 80% से 90% तक 10 अंक, 90% से 95% तक 15 अंक तथा 95% से 100% परिणाम होने पर 20 अंक दिया जाएगा। | 20 |
| शयन व्यवस्था तथा फर्नीचर | प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए पृथक-पृथक पलंग, गद्दा, दो चादर, ओढ़न एवं बिछावन के, एक तकिया दो तकिया कव्हर, कंबल एवं मच्छरदानी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त सामग्री के रूप में कपड़े रखने के लिए एक आलमारी पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। | 15 |
| कम्प्यूटर व्यवस्था/डिजीटल क्लास | शाला में 10 कम्प्यूटर के साथ इंटरनेट व्यवस्था भी उपलब्ध हो एवं छात्रों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था एवं स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था हो। | 05 |
| स्वास्थ्य सुविधा | संस्था का डॉक्टर/चिकित्सालय से विद्यार्थियों के चिकित्सा हेतु अनुबंध होना चाहिए। | 10 |
| विशेष कोचिंग | छात्रावासी छात्रों को पृथक से ट्यूशन पढ़ना न पड़े, इस हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था इवनिंग क्लासेस के रूप में की जाए। | 5 |
| भोजन व्यवस्था | छात्रावासी छात्र-छात्राओं को दो वक्त का नास्ता जिसमें प्रतिदिन मौसमी फल एवं एक गिलास दूध अनिवार्यतः दिया जावे। नास्ते में अंडा (यदि छात्र मांसाहारी हो तो) भी दिया जावे। दो वक्त का भोजन जिसमें दाल चांवल, रोटी, हरी सब्जियां पापड़ पनीर इत्यादि का समावेश हो। विविधतायुक्त रूचिपूर्ण, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन होना चाहिए। भोजन संबंधी सामग्री प्रतिष्ठित एवं ब्रांडेड कम्पनी का होना चाहिए। | 10 |
| फैकल्टी | CBSE/ICSE पाठ्यक्रम के मापदंड अनुसार शिक्षक एवं विषय विषेषज्ञ की व्यवस्था हो। | 10 |
| राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न गतिविधियों/परीक्षाओं में संस्था का प्रतिनिधित्व/भागीदारी | ओलंपियाड, विज्ञान पहेली, JEE (मेन/एडवांस), पी.ई.टी., ए.आई.पी.एम.टी., पी.एम.टी.। | 05 |
| राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न ससंज्ञानात्मक गतिविधियां में सहभागिता | राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संज्ञानात्मक गतिविधियों में छात्र-छात्राओं की सहभागिता। | 05 |

7. <u>चयन समिति</u> :–

योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन की कार्यवाही राज्य स्तर पर निम्नलिखित समिति द्वारा की जायेगी :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | – अध्यक्ष |
| 2. | संचालक / अपर संचालक / उपायुक्त (वरिष्ठतम), मुख्यालय | – सदस्य |
| 3. | संयुक्त संचालक (वित्त), मुख्यालय | – सदस्य |
| 4. | संयुक्त सचिव / उपसचिव, छ0ग0 शासन | – सदस्य |
| 5. | उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (आमंत्रित) | – सदस्य |
| 6. | उपायुक्त / सहायक आयुक्त / प्रभारी अधिकारी | – सदस्य सचिव |
| 7. | प्रशासकीय अधिकारी / प्राचार्य, प्रयास / एकलव्य आवासीय विद्यालय (आयुक्त / संचालक द्वारा मनोनीत) | – सदस्य |

8. <u>उत्कृष्ठ संस्थाओं को इम्पैनल करने हेतु प्रकिया</u>

8.1 उत्कृष्ठ विद्यालयों के चयन के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से "रूचि की अभिव्यक्ति" के तहत आवेदन आमंत्रित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा ।

8.2 प्राप्त प्रस्तावों का स्थल निरीक्षण हेतु आयुक्त द्वारा जिला स्तरीय निरीक्षण समिति गठित की जायेगी जो निम्नानुसार होगी :–

| | |
|---|---|
| (i) आयुक्त द्वारा नामित उपायुक्त / सहा.आयुक्त / सहा.संचा., मुख्यालय | –सदस्य |
| (ii) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (संबंधित जिला) | –सदस्य |
| (iii) जिला शिक्षाधिकारी, स्कूल शिक्षा (संबंधित जिला) | –सदस्य |

यह समिति योजना के कंडिका 06 में प्रावधानित बिन्दुओं के आधार पर उस जिला अंतर्गत संस्था / संस्थाओं का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे ।

8.3 कंडिका कमांक–07 में उल्लेखित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में से कंडिका कमांक–06 के प्रावधान तथा जिला स्तरीय समिति के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उत्कृष्ट संस्थाओं का चयन किया जायेगा ।

8.4 समिति द्वारा अधिकतम 10 विद्यालयों का इम्पेनलमेंट किया जायेगा जो कि अधिकतम 03 वर्षो के लिए मान्य होगा । यह सूची शासन से अनुमोदित होनी चाहिए। यह प्रकिया कक्षा 6वीं एवं 9वीं के लिए एक ही होगी ।

8.5 छात्र हित एवं शासन हित में इम्पेनल्ड संस्थाओं में से आवश्यकतानुसार संस्थाओं में छात्रों का सीट आवंटन का अधिकार पूर्णतया चयन समिति का होगा।

9. संस्था के लिए निर्धारित सीट संख्या

चयनित किसी संस्था मे कक्षा 6वी मे विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अधिकतम विद्यार्थी संख्या 30 होगी।

10. इम्पैन्लड संस्थाओं का शुल्क निर्धारण

10.1 इम्पैन्लड संस्था जिस जिले में स्थित है, को देय शुल्क का निर्धारण संबंधित जिले में जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार होगीः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| i. | कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो अपर कलेक्टर रैंक से कम न हो | – | अध्यक्ष |
| ii. | जिला शिक्षा अधिकारी | – | सदस्य |
| iii. | सहायक आयुक्त, आ.जा.क | – | सदस्य सचिव |

सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह शुल्क निर्धारण समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित करेंगे एवं इसका प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध करवायेंगे।

10.2 समिति का दायित्व होगा कि वह संस्था के अधोसंरचना, प्रदत्त सुविधायें, वातावरण इत्यादि तथा शुल्क संबंधी संस्था के अभिलेखों का निरीक्षण कर युक्तियुक्त शुल्क निर्धारण कर अनुशंसा करेंगे ।

10.3 संस्थाओं के कक्षा 6 से 8 के लिए एक समान, कक्षा 9 से 10 के लिए एक समान कक्षा 11 से 12 के लिए एक समान शुल्क होगा। अतः समिति द्वारा प्रतिवर्ष इन तीन स्लैब में शुल्क का निर्धारण करना होगा।

11. योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया

11.0 योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के चयन हेतु समाचार पत्रों में पूर्ण विवरण के साथ जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। विद्यार्थी को विज्ञापन में दर्शित पात्रता अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वांछित अभिलेखों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

11.1 योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को जिला स्तर पर आयोजित चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

11.2 चयन परीक्षा का आयोजन तथा मूल्यांकन जिला कलेक्टर अपने निगरानी में पूर्ण कराएंगे।

11.3 प्रवेश परीक्षा के आधार पर अभिलेखों के परीक्षण पश्चात् सभी जिला अधिकारियो द्वारा कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए मैरिट के आधार पर जिलो मे स्वीकृत सीट से दो गुने नामों की चयन सूची तैयार की जायेगी। चयन सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर पश्चात् सहायक आयुक्त द्वारा चयन सूची 15 फरवरी तक तैयार कर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय नया रायपुर को प्रेषित की जाएगी।

11.4 निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव में से जिलेवार निर्धारित छात्रों के सीट संख्या के आधार पर विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी संस्थाओं के नाम सहित संबंधित जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त को प्रेषित की जाएगी।

12. संस्थाओं द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति में शामिल करने हेतु अभिलेख

12.1 रुचि की अभिव्यक्ति में निम्नांकित जानकारियां एवं अभिलेख होना चाहिए –

i. संस्था का संबंधित बोर्ड में पंजीयन का नवीनतम प्रमाण पत्र।

ii. नियम के कंडिका 06 में उल्लेखित प्रावधान को पूर्ण करने की पुष्टि हेतु बिन्दुवार प्रमाणित प्रासंगिक अभिलेख हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।

iii. उपरोक्त के अतिरिक्त संस्था द्वारा आवासीय छात्रों से ली जाने वाले फीस का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। उक्त शुल्क में शिक्षण शुल्क, छात्रावास किराया भोजन, चिकित्सा सुविधा, बच्चों के लिए 02 सेट गणवेश, 02 सेट मोजे, 02 सेट जूते रात्रिकालीन गणवेश, क्रीड़ा गणवेश, पुस्तक एवं स्टेशनरी एवं अन्य कोई शुल्क जो अन्य सभी बच्चों से लिये जाते है सम्मिलित होगा।

iv. संस्थाओं को आवेदन पत्र के साथ रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) का एफ.डी आर. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय नया रायपुर के पक्ष में देय होगा। यह एफ.डी.आर योजना के सफल संचालन पर अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् वापसी योग्य होगा।

v. प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को बुकबाईंड कर एक बंद लिफाफे में विज्ञापन में दर्शित तिथि तक प्रेषित किया जाय ।

vi. संस्था द्वारा एक सहमति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह इस योजना के नवीनतम नियम एवं प्रावधानों से वह भलीभांति परिचित है एवं उसके अनुसार पालन करने हेतु सहमत है ।

## 13. इम्पैन्लड संस्थाओं से अनुबंध की प्रकिया

13.1 इम्पैन्लड एवं कार्य आबंटित संस्था संचालक एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर के मध्य एक अनुबंध संपादित किया जायेगा। अनुबंध की शर्तों को द्वितीय पक्ष अर्थात् संस्था संचालक को मानना अनिवार्य होगा। अनुबंध में मुख्यतः यह शर्त होगी कि यदि संस्था का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो प्रथम पक्ष द्वारा संस्था के योजना के तहत अध्ययनरत छात्रों को निकालकर अन्य संस्था में प्रवेशित करवाया जा सकेगा तथा उन पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें संस्था को काली सूची में रखने का प्रावधान होगा एवं संस्था को देय शुल्क/राशि में कटौती की जा सकेगी।

## 14. संस्था को देय शुल्क एवं भुगतान की प्रकिया

14.1 संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए संस्था द्वारा प्रभारित निम्नांकित प्रकार के शुल्क विभाग द्वारा वहन की जाएगी, जो कि रूचि की अभिव्यक्ति अनुसार अनुबंध में लेख किया जाएगा।

1. संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क
2. शिक्षण शुल्क
3. आवासीय सुविधा एवं मेस पर व्यय
4. गणवेश पर व्यय, पहनने के कपड़े, जूता–मोजा, चप्पल आदि
5. पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यय
6. संस्था द्वारा संचालित अन्य गतिविधियां (शिक्षा व अतिरिक्त) पर व्यय अन्य आकस्मिक व्यय तथा चिकित्सा सुविधा इत्यादि।
7. इस योजना के तहत प्रवेशित/चयनित विद्यार्थियों को राज्य द्वारा देय किसी भी प्रकार के अन्य छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी, किन्तु राष्ट्रीय प्रतिभाखोज या अन्य अखिल भारतीय परीक्षा में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।

14.2 शुल्क का भुगतान

चयनित संस्था को अनुमोदित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान 03 किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त 40% का भुगतान संस्था को आवंटित सीट के विरूद्ध प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत माह सितंबर में 40% राशि संस्था के निरीक्षण उपरांत माह दिसंबर में भुगतान किया जाएगा तथा शेष अंतिम किश्त 20% का भुगतान निम्नांकित आधार पर किया जाएगा :-

//7//

(8) संस्था मे योजनांतर्गत प्रवेशित छात्र-छात्राओ का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार होने पर :

(i) 10% ए ग्रेड एवं 90% विद्यार्थी बी ग्रेड से उत्तीर्ण होने पर अंतिम किश्त का संपूर्ण भुगतान।

(ii) 80% विद्यार्थी बी ग्रेड से उत्तीर्ण होने पर अंतिम किश्त का 20% कटौती की जावेगी।

(iii) 60% विद्यार्थी बी ग्रेड से उत्तीर्ण होने पर अंतिम किश्त का 50% कटौती की जावेगी।

(iv) 50% विद्यार्थी बी ग्रेड से उत्तीर्ण होने पर अंतिम किश्त का 80% कटौती की जावेगी।

(v) 50% से कम विद्यार्थी बी ग्रेड से उत्तीर्ण होने पर अंतिम किश्त देय नहीं होगा।

14.3 चयनित संस्था को देय शुल्क कक्षा 6 से 8 तक के लिए एक समान होगा। कक्षा 9 से 10 के लिए एक समान तथा कक्षा 11 से 12 के लिए एक समान रहेगा। किन्हीं भी परिस्थिति में शुल्क वृद्धि 5% से अधिक विभाग द्वारा देय नहीं होगी।

14.4 यदि संस्था द्वारा अगली कक्षा के लिए शाला के शुल्क मे वृद्धि की जाती है तो वृद्धि की दर या 5 प्रतिशत मे से जो भी कम हो विभाग द्वारा देय होगा। किसी भी परिस्थिति में शुल्क वृद्धि 5 प्रतिशत से अधिक विभाग द्वारा देय नही होगा।

## 15. संस्था का नवीनीकरण

योजनांतर्गत भाग लेने वाले संस्थाओं का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जावेगा :–

(i) संस्था में प्रवेशित समस्त छात्रों का परीक्षा परिणाम कंडिका 14 में उल्लेखित शर्तों के आधार पर।

(ii) संस्था में अध्यनरत छात्र–छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता के आधार पर।

(iii) छात्रावास आवास व्यवस्था के आधार पर।

(iv) अन्य गतिविधियों मे छात्र–छात्राओं की भागीदारी एवं उपलब्धियों के आधार पर।

(v) अध्ययनरत छात्र–छात्राओं/पालकों के फीडबैक एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के नवीनीकरण पर विचार करने/निरस्त करने का अधिकार जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य स्तर समिति को होगा।

## 16. संस्था का दायित्व

संस्था का यह दायित्व होगा कि वह उत्कर्ष योजना से लाभान्वित हो रहे छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयासरत हो। छात्रों के बर्हिमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए संस्था निम्न कार्यवाही अनिवार्यतः करेंगे :–

16.1 उत्कर्ष योजना से लाभान्वित होने वाले सभी छात्रों को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज(NTSE)/ऑलंपियाड/किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन आदि परीक्षाओं में अनिवार्यतः शामिल करवाये, ताकि उनमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास हो सके।

16.2 योजनातर्गत संस्था का दायित्व होगा कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 02–02 प्रतियोगी परीक्षाओं (पी.ई.टी., JEE (मेन / एडवांस),ए.आई.पी.एम.टी .पी.ई.टी.,पी.एम.टी.गेग इत्यादि) मे छात्र–छात्राओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराना होगा, जिनका शुल्क एवं अन्य जवाबदेही संस्था की होगी। इसके अतिरिक्त ओलंपियाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभाखोज परीक्षा, विद्यार्थियों को एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीडा प्रतियोगिता इत्यादि मे विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराना होगा।

16.3 छात्रों के काऊंसलिंग एवं साईकोमैट्रिक एनालिसिस कर उनकी रूचि एवं क्षमता की जानकारी एकत्र करना तथा प्रत्येक छात्र को उसके क्षमता एवं रूचि के अनुरूप क्षेत्र में आगे बढने के लिए प्रोत्साहित करना। वाद–विवाद प्रतियोगिता, नाटक, गायन आदि ऐसे रूचि के क्षेत्र में जो छात्र के व्यक्तित्व को बर्हिमुखी बनाने में सहायक हो, के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करवाने का दायित्व संस्था का होगा। लाभान्वित विद्यार्थियों द्वारा उपयुक्त गतिविधियां में भाग लेने संबंधी वीडियों क्लिप / फोटोग्राफ विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा एवं ऐसे कार्यक्रमों में नोडल अधिकारी को आमंत्रित किया जाएगा।

16.4 संस्था में प्रवेशित विद्यार्थी यदि संस्था अथवा बोर्ड द्वारा आयोजित उपरोक्त वर्णित परीक्षाओं में असफल होते है, तो आगामी शिक्षा सत्र मे छात्र एक वर्ष और अध्ययन करने के लिए पात्र होगा, जिसका व्यय भार संबंधित संस्था को वहन करना अनिवार्य होगा।

16.5 यदि छात्र द्वितीय प्रयास में सफल होता है तो आगामी वर्ष के शिक्षण हेतु उसे योजना का लाभ दिया जाएगा, किन्तु वह द्वितीय प्रयास में भी असफल होता है, तो संबंधित छात्र को योजना से वंचित कर दिया जाएगा।

16.6 संस्था द्वारा योजनांतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासनहीनता करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर जिले के सहायक आयुक्त द्वारा जांच कराई जाएगी, शिकायत सही होने पर विद्यार्थी को योजना से वंचित किया जा सकता है।

16.7 संस्था का दायित्व होगा कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगामी 03 वर्षो तक छात्र–छात्राओं की प्रगति का ब्यौरा रखेंगे और कार्यालय आयुक्त को अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराएंगे।

16.8 संस्था मे किसी भी प्रकार से विभाग द्वारा चयनित एवं प्रवेशित कराये गये विद्यार्थियों के साथ अन्य सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा कोई भेदभाव, जाति–पाति एवं असमानता जैसी प्रवृत्तिया संचालित न हो वरन् संस्था में समरसता का वातावरण निर्मित किया जायेगा ।

16.9 विद्यार्थियों का रैगिंग पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा ।

16.10 प्रवेशित विद्यार्थियों के सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व संस्था का होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की घटना / लापरवाही पाये जाने पर संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा ।

16.11 योजनांतर्गत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी प्रतिमाह विभागीय वेबसाइट पोर्टल पर डालना होगा।

17. जिला स्तरीय दायित्व

17.1 प्रत्येक संस्था के लिए जिला स्तर पर एक पालक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। शाला में उत्कर्ष योजना अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम इन्हीं पालक अधिकारी की उपस्थिति में विद्यार्थियों को दिए जायेंगे। पालक अधिकारी प्रतिमाह पी.टी.एम. में उपस्थित होकर छात्र–छात्राओं की शैक्षणिक गुणवत्ता, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास आदि की प्रगति प्राप्त करेंगे एवं आवश्यक होने पर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करायेंगे।

17.2 सहायक आयुक्त का दायित्व होगा कि वह पालक अधिकारी से प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति की जानकारी लेकर प्रति तीन माह में समीक्षा करेंगे एवं आवश्यकता होने पर संस्था संचालक के साथ बैठक कर विद्यार्थियों की प्रगति में सुधार लाने हेतु निर्देश देंगे। बैठक की कार्यवाही को लेखबद्ध किया जायेगा।

17.3 सहायक आयुक्त प्रति तीन माह में चयनित संस्था का निरीक्षण कर प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

18. योजना की समीक्षा

18.1 योजना की समीक्षा राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी। समीक्षा बैठक में संस्था के प्राचार्य/संचालक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। समीक्षा के पश्चात् समिति द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

18.2 राज्य स्तर पर योजना की समीक्षा राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति द्वारा की जावेगी, जो निम्नानुसार होगी :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि | – | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा.वि | – | सदस्य |
| 3. प्रबंधक संचालक, रा.रा.शि.मि | – | सदस्य |
| 4. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी | – | सदस्य |
| 5. प्रभारी अधिकारी (योजना) | – | सदस्य/सचिव |

इस समिति की बैठक वर्ष में 02 बार सम्पन्न होगी।

18.3 जिला स्तर पर योजना की समीक्षा जिला स्तरीय अनुश्रवण मूल्यांकन समिति द्वारा की जावेगी। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी–

| | | |
|---|---|---|
| 1. जिला कलेक्टर | – | अध्यक्ष |
| 2. जिला शिक्षा अधिकारी | – | सदस्य |
| 3. परियोजना समन्वयक, रा.गा.शि.मि | – | सदस्य |
| 4. सहायक आयुक्त, आ.जा.क. | – | सदस्य/सचिव |

इस समिति की बैठक त्रैमासिक होगी। बैठक का कार्यवाही विवरण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास को भेजी जावेगी।

19. नियमों का विवेचन

19.1 इन नियमों के प्रभावशील होने की तिथि से पूर्व में प्रचलित नियम/प्रावधान स्वमेव प्रभावशून्य हो जायेंगे, किन्तु पूर्व में लागू योजना नियम से अनुबंधित संस्था अपने अनुबंध के अनुरूप संचालित होती रहेंगी।

19.2 इन नियमों में उल्लेखित प्रावधान के बारे में संशोधन/परिवर्तन एवं विवेचना का अधिकार छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का होगा।

20. <u>विवादों का निपटारा</u>

योजना के क्रियान्वयन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निम्नांकित समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा :-

| | | |
|---|---|---|
| (अ) आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास | – | अध्यक्ष |
| (ब) योजना प्रभारी अधिकारी | – | सदस्य |
| (स) संबंधित जिले का सहायक आयुक्त | – | सदस्य |

21. <u>योजना पर होने वाला व्यय</u>

21.1 अनुसूचित जनजाति हेतु– मांग संख्या 41/2202–01–101–0102 योजना क्रमांक 5092 जवाहर उत्कर्ष योजना–14–011–वैयक्तिक अनुदान

21.2 अनुसूचित जाति हेतु–मांग संख्या 64/2202–01–101–0103 योजना क्रमांक 5092 जवाहर उत्कर्ष योजना–14–012–अन्य अनुदान मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

(13)

छत्तीसगढ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

//आदेश//

21 JUN 2019

अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक /06/2019

क्रमांक/एफ–16–36/2009/25/2 राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग में संचालित आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2016) की निम्नांकित कंडिकाओं में उनके नाम के समक्ष दर्शित अनुसार संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करता है–

| कंडिका क्रमांक | वर्तमान प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 04–मेधावी छात्रों के चयन का मापदण्ड | | |
| 4.3 | विद्यार्थी छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं एवं 8वीं में नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा 4थी एवं 7वीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। | विद्यार्थी छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा 4थी में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। |
| 4.5 | योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थी एवं 7 वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेंगे। नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने की पात्रता नहीं रखेंगे। | योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा 4थी उत्तीर्ण कर 5वीं में अध्ययनरत छात्र ही योजना का लाभ लेने की पात्रता रखेंगे। नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने की पात्रता नहीं रखेंगे। |
| 05– छात्रों की सीट संख्या का निर्धारण | | |
| 5.1 | जवाहर उत्कर्ष योजना से लाभान्वित होने वाले मेधावी छात्रों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रवेश परीक्षा के प्रावीण्यता के आधार पर कक्षा 6वीं में अनुसूचित जनजाति के 100 एवं अनुसूचित जाति के 50 विद्यार्थियों को सामान्यतः प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश हेतु जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार हो सकेगी– | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना से लाभान्वित होने वाले मेधावी छात्रों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रवेश परीक्षा के प्रावीण्यता के आधार पर कक्षा 6वीं में अनुसूचित जनजाति के 130 एवं अनुसूचित जाति के 70 विद्यार्थियों को सामान्यतः प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश हेतु जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार हो सकेगी– |

JVY 25/07/19

| कंडिका क्रमांक | वर्तमान प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

**वर्तमान प्रावधान (2)**

| क्र | जिला | अनु. जन जाति की निर्धारित सीट संख्या | अनु. जाति की निर्धारित सीट संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सरगुजा | 9 | 1 |
| 2 | बलरामपुर | 4 | 1 |
| 3 | सूरजपुर | 4 | 1 |
| 4 | कोरिया | 4 | 1 |
| 5 | बिलासपुर | 4 | 3 |
| 6 | मुंगेली | 1 | 2 |
| 7 | कोरबा | 6 | 2 |
| 8 | जांजगीरचांपा | 2 | 4 |
| 9 | रायगढ़ | 8 | 2 |
| 10 | कवर्धा | 2 | 2 |
| 11 | दुर्ग | 2 | 2 |
| 12 | बेमेतरा | 1 | 2 |
| 13 | बालोद | 3 | 1 |
| 14 | रायपुर | 2 | 4 |
| 15 | गरियाबंद | 3 | 2 |
| 16 | जशपुर | 6 | 2 |
| 17 | महासमुंद | 2 | 3 |
| 18 | धमतरी | 2 | 2 |
| 19 | जगदलपुर | 8 | 2 |
| 20 | कोण्डागांव | 4 | 1 |
| 21 | कांकेर | 5 | 1 |
| 22 | दंतेवाड़ा | 4 | 1 |
| 23 | सुकमा | 3 | 1 |
| 24 | नारायणपुर | 3 | 1 |
| 25 | बीजापुर | 3 | 1 |
| 26 | बलौदाबाजार | 1 | 2 |
| 27 | राजनांदगांव | 4 | 3 |
| | योग | 100 | 50 |

**संशोधित प्रावधान (3)**

| क्र | जिला | अनु. जन जाति की निर्धारित सीट संख्या | अनु. जाति की निर्धारित सीट संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सरगुजा | 11 | 1 |
| 2 | बलरामपुर | 5 | 1 |
| 3 | सूरजपुर | 5 | 1 |
| 4 | कोरिया | 5 | 1 |
| 5 | बिलासपुर | 5 | 5 |
| 6 | मुंगेली | 1 | 3 |
| 7 | कोरबा | 8 | 3 |
| 8 | जांजगीरचांपा | 2 | 5 |
| 9 | रायगढ़ | 10 | 4 |
| 10 | कवर्धा | 3 | 3 |
| 11 | दुर्ग | 2 | 4 |
| 12 | बेमेतरा | 1 | 4 |
| 13 | बालोद | 5 | 2 |
| 14 | रायपुर | 2 | 5 |
| 15 | गरियाबंद | 5 | 2 |
| 16 | जशपुर | 9 | 2 |
| 17 | महासमुंद | 2 | 4 |
| 18 | धमतरी | 3 | 3 |
| 19 | जगदलपुर | 10 | 2 |
| 20 | कोण्डागांव | 5 | 1 |
| 21 | कांकेर | 7 | 1 |
| 22 | दंतेवाड़ा | 5 | 1 |
| 23 | सुकमा | 4 | 1 |
| 24 | नारायणपुर | 4 | 1 |
| 25 | बीजापुर | 5 | 1 |
| 26 | बलौदाबाजार | 1 | 4 |
| 27 | राजनांदगांव | 5 | 5 |
| | योग | 130 | 70 |

| कंडिका क्रमांक | वर्तमान प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|
| 5.2 | कक्षा 9वीं मे प्रवेश हेतु कुल 50 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें 30 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 20 सीट अनुसूचित जाति के लिए होंगी। कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु जिलेवार आरक्षण की व्यवस्था नहीं रखी गई है। | विलोपित किया जाता है। |

| कंडिका क्रमांक | वर्तमान प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.3 | उपर्युक्त कंडिका 5.1 एवं 5.2 में दर्शायी गयी सीट संख्या अधिकतम है। योजनांतर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु चयन की संख्या संबंधित बजट वर्ष में इस योजना हेतु प्रावधानित बजट राशि के सीमा अंतर्गत होगी अर्थात बजट सीमा के अंदर ही विद्यार्थियों की लक्ष्य संख्या निर्धारित होगी। | उपर्युक्त कंडिका 5.1 में दर्शाई गई सीट संख्या अधिकतम है। योजनांतर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु चयन की संख्या संबंधित बजट वर्ष में इस योजना हेतु प्रावधानित बजट राशि के सीमा अंतर्गत होगी अर्थात बजट सीमा के अंदर ही विद्यार्थियों की लक्ष्य संख्या निर्धारित होगी। |
| 8. उत्कृष्ट संस्थाओं को इम्पैनल करने की प्रकिया | | |
| 8.4. | समिति द्वारा अधिकतम 10 विद्यालयों का इम्पैनलमेंट किया जायेगा जो कि अधिकतम 03 वर्षों के लिए मान्य होगा। यह सूची शासन से अनुमोदित होनी चाहिए। यह प्रकिया कक्षा 6वीं एवं 9वीं के लिए एक ही होगी। | समिति द्वारा अधिकतम 10 विद्यालयों का इम्पैनलमेंट किया जायेगा जो कि अधिकतम 03 वर्षों के लिए मान्य होगा। यह सूची शासन से अनुमोदित होनी चाहिए। यह प्रकिया कक्षा 6वीं के लिए एक ही होगी। |
| 8.6 | — | कंडिका 04 में [illegible] पूर्ण करने पर [illegible] के माध्यम से [illegible] भी सीधे योजनान्तर्गत [illegible] होगी। |

2— इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन वित्त विभाग के [illegible] क्रमांक/एफ–2019–25–01628/ब–3/चार, दिनांक 13.06.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. [illegible])
[illegible] सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति [illegible]

पृ.क्रमांक/एफ–16–36/2009/25/2 अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 21 JUN 2019

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर।

2– अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर।

3– प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर।

4– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर की ओर उनके यू.ओ. क्रमांक 42 दिनांक 6.8.2019 के तारतम्य में।

5– समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़।

6– समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7– आर्डर बुक

[illegible] सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति [illegible]